

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 09.04.2024, थाना कौडिया**  
**जनपद -गोण्डा।**

**थाना कौडिया पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,**

**कार्यवाही:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा समान्य चुनाव- 2024 व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान वी0डी0एम0 स्कूल के पास ग्राम पेड़ीबरा से 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त छैलबिहारी उर्फ ढोगई उर्फ शिवकुमार पुत्र सहदेव उर्फ सधई निवसी बड़हराजोत थाना कौडिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कौडिया में मु0अ0स0- 95/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक 09.04.2024 को थाना कौडिया के उ0नि0 सुरेश मणि मिश्र मय फोर्स के साथ लोक सभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण/रात्रि गस्त में रवाना थे कि टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के चेकिंग के दौरान वी0डी0एम0 स्कूल के पास ग्राम पेड़ीबरा से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त छैलबिराही उर्फ ढोगई उर्फ शिवकुमार को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कौडिया में मु0अ0स0- 95/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. छैलबिहारी उर्फ ढोगई उर्फ शिवकुमार पुत्र सहदेव उर्फ सधई निवासी बड़हरा जोत थाना कौडिया जनपद गोंडा ।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0 95/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा ।

**बरामदगी-**

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 सुरेश मणि मिश्र
02. हे0का0 रूपेश कुमार सिंह
03. का0 संदीप सिंह

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त छैलबिहारी उर्फ ढोगई उर्फ शिवकुमार पुत्र सहदेव उर्फ सधई**

1. मु0अ0सं0 114/2016 धारा 323,504 भा0द0वि0 व 3(1) ( X ) SC/ST ACT थाना कौडिया गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 153/2017 धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0 थाना कौडिया, गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 10/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कौडिया गोण्डा।
4. मु0अ0सं0 123/2020 धारा 8/22 NDPS एक्ट थाना कौडिया गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 24/2022 धारा 8/22 NDPS एक्ट थाना कौडिया गोण्डा।
6. मु0अ0सं0 520 /2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
7. मु0अ0सं0 704/2018 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गोण्डा।
8. मु0अ0सं0 14/2019 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गोण्डा।
9. मु0अ0सं0 35/2019 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गोण्डा।
10. मु0अ0सं0 676/2018 धारा 380 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गोण्डा।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 09.04.2024, थाना तरब**  
**जनपद -गोण्डा।**

**थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,**

**कार्यवाही:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा समान्य चुनाव- 2024 व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान नौडिहवा पुलिया के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त सूरज निषाद पुत्र लाले निषाद निवसी ग्राम नवाबगंज गिर्द मौजा नौडिहवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0 128/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक 09.04.2024 को थाना नवाबगंज के व0उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा मय फोर्स के साथ लोक सभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण/रात्रि गस्त में रवाना थे कि टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के चेकिंग के दौरान नौडिहवा पुलिया के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त सूरज निषाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0128/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सूरज निषाद पुत्र लाले निषाद निवसी ग्राम नवाबगंज गिर्द मौजा नौडिहवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0 128/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. व0उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा
02. का0 अतुल सिंह
03. का0 अमित सिंह

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट- दिनांक – 09.04.2024, तरबगंज**

**थाना को0 तरबगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

**कार्यवाही-**

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-674/2023, धारा 306 भादवि व 3(2)V SC/ST एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त संदीप वर्मा पुत्र शिव प्रसाद निवासी सिकन्दरपुर अनभा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा को पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.12.2023 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी माता प्रसाद पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम सिकन्दरपुर (अनभा) थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा ने थाना मनकापुर को सूचना दिया की उसकी बहन को जातीसूचक गालीयां देकर मारे पीटे थे जिससे मेरी बहन क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 मनकापुर में मु0अ0सं0-674/2023, धारा 306 भादवि व 3(2)V SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26.12.2023 को थाना को0 मनकापुर की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त संदीप वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. संदीप वर्मा पुत्र शिव प्रसाद निवासी सिकन्दरपुर अनभा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-674/2023, धारा 306 भादवि व 3(2)V SC/ST एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. व0उ0नि0 प्रबोध कुमार
02. हे0का0 संदीप यादव
03. का0 सत्यवीर सिंह

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 09.04.2024, थाना तरबगंज**  
**जनपद गोण्डा**

**थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

**कार्यवाही-**

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 437/2023, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त राजू उर्फ राजीव शुक्ला पुत्र शंकरदत्त शुक्ला निवासी नीरपुर ख्याला गोकुलपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पुलिस के अथक प्रयास से शुक्लगंज तिराहा के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी द्वारा थाना तरबगंज पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक पुत्री को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0- 437/2023, धारा 363, 366 भादवि बनाम राजू शुक्ला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 09.04.2024 को थाना तरबगंज की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त राजू उर्फ राजीव शुक्ला पुत्र शंकरदत्त शुक्ला निवासी नीरपुर ख्याला गोकुलपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को शुक्लगंज तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 5L/6 पास्को एक्ट व 3(2)5 व 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. राजू उर्फ राजीव शुक्ला पुत्र शंकरदत्त शुक्ला निवासी नीरपुर ख्याला गोकुलपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 437/2023, धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5L/6 पास्को एक्ट व 3(2)5 व 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी
02. का0 अमित कुमार
03. का0 कृष्ण देव
04. का0 रवि कुमार

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

## प्रेस नोट

दिनांक 09.04.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में त्योहारों व लोकसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के साथ थानों के विभिन्न ग्राम/मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्च:-

आज दिनांक 09.04.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना कौडिया, थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा आगामी त्योहारो श्री राम नवमी, प्रचलित रमजान माह व लोकसभा समान्य चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थाना कौडिया व इटियाथोक क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/मौहल्लों/कस्बा में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान आगामी त्योहार श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराने व लोकसभा समान्य चुनाव-2024 के दौरान आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, अवांछनीय व आपराधिक तत्व के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनावो में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।